

03.07.2018

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में विपक्षी से सहमति हो चुकी है अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है तथा कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

